


1425फ व आदेश रजि.का. अतरीली दि. 09.02.18 के अनुपालन में आदेश वादे स.3359/24.01.18 में केता में ए.एण्ड.एच के स्थान पर ए.एण्ड.एच. तथा सचिव प्रबन्धक साकिव अनवर पुत्र अनवर खा के स्थान पर सही नाम सचिव प्रबन्धक साकिव अनवर पुत्र अनवर खा नि.मी.सौपरियान कसा अतरीली आर-6 के अनुसार दर्ज है। ह.रका. 09.01.18

1426फ. व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी अतरीली जिला अलीगढ़ के वाद सं. 3381/2018 अ.धारा 80 उप.प्र. राजस्व संहिता साकिव अनवर बनम उप.प्र. सरकार मौजा अतरीली पट्टी नजफ खा बाहरचुंगी में पारित आदेश दि. 28.09.18 के अनुसार मौजा अतरीली पट्टी नजफ खा बाहरचुंगी के खाता सं. 240 के गाटा सं. 1213/0.515 भू.सं.25.50 रु. भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार भू. र. खाते से मुक्त किया जावे। राजस्व अभिलेख खतीनी में इस आदेश का इन्ड्रान वर्षानुवर्ष किया जाता रहेगा। ह.रका. 09.10.18

कुल गाटे- एक	कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव पाँच एक पाँच शून्य (वैकट पर)	कुल भूभाजस्व - दो पाँच दशमलव पाँच शून्य रूपये	1	0.5150	25.50	5	0
--------------	---	---	---	--------	-------	---	---

Data Digitally Signed by: GAVENDRA SINGH

उपरोक्त उद्घरण खतीनी का वेरीफिकेशन <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।



साक्षम अधिकारी: RAJKESH KUMAR BHARTI
 तहसील: अतरीली जनपद: अलीगढ़
 दिनांक एवं समय: 10-06-2022 02:00:08
 यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल है।

